न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूलसिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :– 13/2017

उनवान प्रकरण

1–बरखो उम्र करीव 47 वर्ष पुत्री गोधनसिंह पत्नी श्री किशनसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ हाल निवासी ऊँचा गांव तहसील मासलपुर जिला करौली राजस्थान

2–अनारदेई उम करीव 45 वर्ष पुत्री गोधनसिंह पत्नी श्री दाऊजी जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ हाल निवासी रैवियापुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

3–दाखश्री उम्र करीव 45 वर्ष पुत्री गोधनसिंह पत्नी नरेशसिंह धाकरे जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ हाल निवासी बरीपुरा तहसील फतिहाबाद जिला आगरा उ0प्र0

4–पवन उम्र करीव 34 वर्ष । पुत्रगण सावित्री पुत्री गोधनसिंह पत्नी वीरेन्द्रसिंह
5–रामकुमार उम्र करीव 32 वर्ष । जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ
6–शिवकुमार उम्र करीव 24 वर्ष । हाल निवासी मझऊआ तह0बाडी जिला धौलपुर

7–सुमन उम्र करीव 22 वर्ष पुत्री सावित्री पुत्री गोधनसिंह पत्नी वीरेन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ हाल निवासी मझऊआ तह0बाडी जिला धौलपुर

8–राजू उम्र करीव 30 वर्ष । पुत्रगण अंगूरी पुत्री गोधनसिंह पत्नी मुरारी जाति ठाकुर
9–सूरज उम्र करीव 20 वर्ष । निवासी ग्राम परौआ तह0सैपऊ हाल निवासी ग्राम पवेशुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर

10–राधा उम्र करीव 28 वर्ष । पुत्रीयान अंगूरी पुत्री गोधनसिंह पत्नी मुरारी जाति
11–हेमलता उम्र करीव 25 वर्ष । ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ हाल निवासी ग्राम पवेशुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1–कल्लन उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र गोधनसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

2–नायव तहसीलदार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

3–दीवान सिंह उम्र करीव 45 वर्ष पुत्र श्री लच्छी सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्व नामान्तरकरण संख्या 146 दि0 20.10.1977 बाके ग्राम परौआ द्वारा न्यायालय नायव तहसीलदार सैपऊ

अति0 जिला कलक्टर

उपस्थिति अभिभाषक

अपीलान्ट्स की ओर से :– श्री हरवीर सिंह एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट नं.–1 की ओर से :– श्री धीरेन्द्रसिंह परमार एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट नं.–2 की ओर से :– श्री गोपालनरायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पोडेन्ट नं.–3 की ओर से :– श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 06.07.2018

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बरान 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 238/1320 बांके ग्राम परौआ तहसील सैपऊ के माधौसिंह, गोधनसिह एंव ल्हौरे पुत्रगण मुरली जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार थे और इसी अनुसार काबिज काश्त थे। सर्वप्रथम गोदन सिंह का देहान्त हुआ उनके बाद माधैसिंह का देहान्त हुआ तथा ल्हौरे अभी जीवित है। सन 1977 में गोधनसिंह का देहान्त हुआ उनके देहान्त के समय उनकी पत्नी सोहरन पुत्रीया सावित्री, अगूंरी, बरखो, अनारदेई, दाखश्री एवं एक पुत्र कल्लन सिंह वारिस मौजूद थे उपरोक्त समस्त वारिसान उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची के वारिसान थे जिन्हें स्व0 गोदनसिंह का छोडा समस्त तर्का बराबर बराबर हिस्सा में प्राप्त हुआ था। सावित्री का सन 2016 में देहान्त हो गया है उसके वारिस अपीलान्ट संख्या 3 लगायत 06 है एवं अंगूरी का सन 2005 में देहान्त हो गया है उसके वारिस अपीलान्ट संख्या 7 लगायत–10 है उपरोक्त वारिसान ने सावित्री एवं अंगूरी का समस्त तर्का प्राप्त किया है। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या–1 स्व0 गोदनसिंह के जायज एवं कानूनी वारिसान है उनके द्वारा छोडी गई समस्त आराजीयात पर अपने हिस्से के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। गोधनसिंह के निधन के बाद उनके द्वारा छोडी हुई आराजी पर विरासत का नामान्तकरण नायब तहसीलदार सैपऊ द्वारा मजमें आम में खोला गया जिसमें वारिसान की कोई जॉच नहीं की गई एव ना ही वारिसान को सुनने का मौका दिया गया। नामान्तकरण संख्या 146 विधि के विपरीत बिना जॉच किये बिना शिजरा प्रमाणित कराये पटवारी हल्का के द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम तस्दीक कर दिया गया जो कि गलत है विधि विरूद्व है तथा शुरू से ही नल एण्ड बोईड है एवं काबिले खारिजी है। नायव तहसीलदार सैपऊ को बिना शिजरा प्रमाणित कराये नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं करानी चाहिए थी यहा तक की स्व0 गोधनसिंह की पत्नी सोहरन वक्त नामान्तकरण कार्यवाही मौजूद थी उसका पुत्र पुत्रीयो क बराबर हिस्सा था लेकिन नामान्तकरण मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम दर्ज कर मॉ को सरपरस्त दर्ज कर दिया गया जो एक कानून के उल्लधन का अनौखा उदाहरण है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्य 146 शुरू से ही अवैध नल एण्ड बोइड शून्य है। स्व0 गोधनसिंह की पत्नी सोहरन का सन 2013 में देहान्त हो गया है उनका विरासत का

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

नामान्तकरण संख्या 1188 खोला जा चुका है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या–1 एवं अपीलान्ट 04 लगा0 7 की मॉ सावित्री एवं अपीलान्ट 1 लगा0 3 व 08लगायत 11 के नाम नामान्तकरण खोला जा चुका है। इस प्रकार समस्त अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या–1 राजस्व रिकार्ड में मौजूद है जिन्हें यह सिद्व करने की आवश्यकता नहीं है कि वह स्व0 गोधनसिंह के वारिसान है। गोधनसिंह के देहान्त के बाद माधौसिंह का देहान्त हुआ उनकी शादी नहीं हुई थी इसलिये गोधनसिंह के वारिस उनका छोटा भाई ल्हौरे एवं गोधनसिंह के वारिसान उनके वारिस हुए। उनका विरासत का नामान्तकरण संख्या 400 खोला गया वह भी कानून विरूद्व खोला गया उसमें ल्हौरे 1/6, सोहरन 1/12 एवं कल्लन 1/12 के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया जबकि सोहरन 1/42, कल्लन 1/42 व सावित्री,अंगूरी, बरखो, अनारदेई, दाखश्री 5/42 हिस्से के मुताविक नामान्तकरण खोलना चाहिए था ऐसा न करके ग्राम पंचायत कनासिल ने कानूनी भूल की है। अतः यह नामान्तकरण भी अवैध नल एण्ड वाईड शून्य है। नामान्तकरण संख्या 146 व 400 के अवैध शून्य इन्द्राजात का फायदा उठाते हुये खसरा नम्बर 230, 234, 237, 238 में से रैस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 14.5.1999 को 5/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को विकय कर दिया जो गलत है। यह विकय पत्र अपीलान्ट के हिस्से पर नल एण्ड वोइड शून्य है इसका नामान्तकरण संख्या 673 खोला गया जो पश्चातवर्ती विकय पत्र के आधार पर खोला गया है इस नामान्तकरण से अपीलान्टस के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। वर्तमान में केता दीवानसिंह का कब्जा नहीं है। अपीलान्टस एंव रैस्पोडेन्टस संख्या 1 मौके पर अपने हिस्से के मुताविक काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 146, 400 एवं 673 की कोई जानकारी नहीं थी अब दिनांक 14.5.2017 को अपीलान्ट संख्या 3 लगा0 6 अपनी मॉ के विरासत का नामान्तकरण खुलवाने पटवारी हल्का के पास गये तब पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारी मॉ एवं मौसियो के नाम बहुत कम जमीन है इस आराजी में 4 खसरा नम्बरान में से 5/12 हिस्सा कल्लन ने दीवानसिंह को विकय कर दिया है उसके अकेले के नाम 5/12 हिस्सा का इन्द्रांज था तुम्हारी मॉ एवं मौसियो के नाम तुम्हारे नाना के स्थान पर दाखिल खारिज नहीं खोला गया है, तब जानकारी हुई जानकारी होने के बाद दिनांक 15.5.2017 को रिकार्ड दिखवाया एवं रिकार्ड देखने के बाद उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 18.5.2017 को नकल प्राप्त हुई नकल प्राप्त होने के दिनांक से कानूनी सलाह लेकर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत हैं। विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 146 से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुये है इसलिये अपीलान्ट एग्रीव्ड प्रसन है। अतः अपीलान्ट को अपील करने का पूर्ण अधिकार है। अपील अपीलान्ट जानकारी के दिन से अन्दर म्याद प्रस्तुत है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 20.10.1977 ग्राम परौआ तहसील सैपऊ को निरस्त किये जाने एवं पुनः जॉच कर नामान्तकरण करने के आदेश दिये जाने एवं पुनः जॉच कर गोधनसिंह की विरासत के नामान्तकरण किये किये जाने की प्रार्थना की है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अपीलान्टस ने अपील के साथ प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 146 ग्राम परौआ, नकल जमाबन्दी सम्बत 2024 से 2027 ग्राम परौआ, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1253 सम्बत 2071 से 2074 ग्राम परौआ, नामान्तकरण संख्या 400 ग्राम परौआ, नामान्तकरण संख्या 673 ग्राम परौआ नकल जमाबन्दी खाता संख्या 252 ग्राम परौआ प्रस्तुत किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 की ओर से श्री धीरेन्द्रसिंह परमार एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की ओर से श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 1.6.18 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1स्वंय अथवा उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं एवं पैरोकार सरकार द्वारा वहस में भाग नहीं लिया।

अपीलान्टस के अभिभाषक एवं रैस्पोडेन्ट संख्या–3 के अभिभाषक उभयपक्ष की वहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क दिया कि विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार गोधनसिंह थे। गोधनसिंह का देहान्त सन 1977 में हो गया। उनके देहान्त के समय उनकी पत्नी सोहरन पुत्री सावित्री, अंगूरी, बरखो, अनारदेई, दाखश्री एंव पुत्र कल्लन मौजूद थे जो कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत गोधनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान थे जिन्होने गोधनसिंह के द्वारा समस्त तर्का एकसाथ प्राप्त किया है। दिनांक 20.10.1977 को नामान्तरण संख्या 146 राजस्व अभियान में खोला गया जिसे बिना शिजरा प्रमाणित कराये हुये मात्र अकेले कल्लन के नाम से पटवारी हल्का ने भर कर प्रस्तुत कर दिया जिसे नायब तहसीलदार द्वारा बिना कोई जॉच किये हुये कानून के विरूद्व तस्दीक कर दिया इस नामान्तकरण में मॉ मौजूद थी फिर भी मॉ के नाम नामान्तकरण नहीं किया गया एवं बहनों के नाम को भी छुपा दिया गया। इस प्रकार यह नामान्तकरण शुरू से ही नल एण्ड बोयड शून्य है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 146 से अपीलार्थीगण के हितो को लोपित कर दिया गया है जिससे अपीलार्थीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है इसलिये अपीलार्थीगण धारा 96 सीपीसी के तहत बिना अनुमति लिये ही यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की मॉ सोहरनदेवी का देहान्त होने पर नामान्तकरण संख्या 673 खोला गया जिसके मुताबिक अपीलार्थीगण को गोधनसिंह की पुत्रियां स्वीकार किया गया है। वर्तमान अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोधनसिंह के वारिसान के रूप में अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को यह सिद्व करने की आवश्यकता नहीं है कि वो गोधनसिंह के वारिसान है। इस अपील में उत्तराधिकार तय करने की प्रार्थना नहीं की गई है। ऐसा नल एण्ड बोयेड शून्य नामान्तकरण को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। अपील मे हुई देरी को माफ करने के लिये धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी जबाव रेस्पोडेन्ट ने नहीं दिया है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलार्थीगण के धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं अपील के तथ्यों के विरोध में किसी भी

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रकार का प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट ने आज तक राजस्व रिकार्ड जिसमें अपीलार्थीगण का इन्द्राज स्व0 गोधनसिंह के वारिसान के रूप में हो रहा है के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की है अर्थात चैलेंज नहीं किया है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का इन्द्रांज जिसमें अपीलार्थीगण को गोधनसिंह का वारिसान दर्ज किया गया है वैद्य एंव सही इन्द्रांजात है इसकी जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 ग्राम परौआ की जमाबन्दी खाता संख्या 253 व 252 अपील में संलग्न हैं। इस प्रकार अगर नामान्तकरण संख्या 146 को निरस्त नहीं किया तो अपीलार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराधात होगा उनके अधिकार नष्ट हो जायेगें। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर बी जे 2016 पेज 547, आर एल डब्लू 2006(2) आर जे पेज 843, आर एल डब्लू 2005(1) आर जे पेज 432, आर एल डब्लू 2005(2) आरजे पेज 397 व 596 की न्यायिक नजीरें पेश कर अपील अपीलनान्टस स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

रेस्पोडेण्ट नं0 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 20.10.1977 का है और अपीलान्टस द्वारा अपील दिनांक 2.6.2017 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार उक्त अपील लगभग 40 वर्ष पश्चात पेश की है। उक्त अपील समय सीमा से वाहर है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। नामान्तकरण की कार्यवाही में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे। पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलान्ट को धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। बिना अनुमति अपील पेश की गई है। नामान्तकरण की कार्यवाही में उत्तराधिकार का प्रश्न तय नहीं किया जा सकता है धोषणा के वाद में सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट अपने अधिकार तय करा सकता है क्योकि नामान्तकरण की कार्यवाही वित्तीय कार्यवाही की श्रेणी में आती है जिसके अन्तर्गत अधिकार तय नहीं किये जा सकते। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर टी 2002(2) पेज 1121, डीएनजे 2013(1) पेज 262, आर आर टी 2012(1) पेज 512, आरआरटी 2008(2) पेज 1096, आरआरटी 2003(1) पेज 502 की नजीरें पेश कर अपील अपीलान्ट खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्टस ने यह अपील नामान्तकरण संख्या 146 दिनांक 20.10.1977 बांके ग्राम परौआ तहसील सैपऊ के विरूद्व पेश की है। अपीलान्टस का कथन है कि विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार गोधनसिंह थे। गोधनसिंह का देहान्त सन 1977 में हो गया उनके देहान्त के समय उनकी पत्नी सोहरन पुत्री सावित्री, अंगूरी, बरखो, अनारदेई, दाखश्री एंव पुत्र कल्लन मौजूद थे जो कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत गोधनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान थे जिन्होने गोधनसिंह का समस्त तर्का एकसाथ प्राप्त किया है। दिनांक 20.10.1977 को नामान्तरण संख्या 146 बॉके ग्राम परौआ तहसील सैपऊ खोला गया जो मात्र अकेले कल्लन के नाम से पटवारी हल्का ने भर कर प्रस्तुत कर दिया जिसे नायब तहसीलदार द्वारा बिना कोई जॉच किये हुये कानून के विरूद्व तस्दीक कर दिया इस नामान्तकरण में मॉ मौजूद थी फिर भी मॉ के नाम

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

नामान्तकरण नहीं किया गया एवं बहनों के नाम को भी छुपा दिया गया। इस प्रकार यह नामान्तकरण शुरू से ही नल एण्ड बोयड शून्य है। हमने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 146 का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त नामान्तकरण गोधनसिंह के फोत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण राजस्व अभियान में जिसे बिना शिजरा प्रमाणित कराये हुये मात्र अकेले कल्लन के नाम से पटवारी हल्का ने भर कर प्रस्तुत किया जिसे नायब तहसीलदार द्वारा बिना कोई जॉच किये हुये तस्दीक कर दिया। इस नामान्तकरण में माँ मौजूद थी फिर भी माँ के नाम नामान्तकरण नहीं किया गया जो कानूनन गलत है। इसके उपरान्त अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की माँ सोहरनदेवी का देहान्त होने पर नामान्तकरण संख्या 673 खोला गया जिसके मुताबिक अपीलार्थीगण को गोधनसिंह की पुत्रियां स्वीकार किया गया है एवं वर्तमान में अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गोधनसिंह के वारिसान के रूप में अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को यह सिद्व करने की आवश्यकता नहीं है कि वो गोधनसिंह के वारिसान है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 146 से अपीलार्थीगण के हितो को लोपित कर दिया गया है जिससे अपीलार्थीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है इसलिये अपीलार्थीगण धारा 96 सीपीसी के तहत बिना अनुमति लिये ही यह अपील प्रस्तुत की हैं जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार है जैसा कि आर. बी.जे. 2016 पेज 547 पर रेवन्ती बनाम मोदाराम में यह होल्ड किया है कि Code of civil procedure 1908 section 96 aggreived party can file directly an appeal without filing an application under section 96 of CPC 1908. इस अपील में उत्तराधिकार तय करने की प्रार्थना नहीं की गई है। ऐसा नल एण्ड बोयेड शून्य नामान्तकरण को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है **जैसा कि आर.एल. डब्ल्यू 2006(2)आरजे पेज 843 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने राजस्थान सरकार बनाम रामी एवं अन्य में यह मत व्यक्त किया गया है कि आरम्भ से ही शून्य आदेश को किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है।** अपील मे हुई देरी को माफ करने के लिये धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी जबाव रेस्पोडेन्ट ने नहीं दिया है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलार्थीगण के धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं अपील के तथ्यों के विरोध में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **आर.एल.डब्ल्यू 2005(1) आरजे पेज 432 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने मन्नत बनाम रहीम खांन में में मत व्यक्त किया है कि अपील परसीमा पर खारिज करने से पूर्व न्यायालय को अपील के गुणावगुण पर विचार करना चाहिये परसीमा के आधार पर अपील तभी खारिज की जानी चाहिये ज बह गुणावगुण पर पूरी तरह से कमजोर हो। आर एल डब्ल्यू 2005(2) आरजे पेज 397 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सरकार बनाम सरदार व अन्य में यह व्यक्त किया है कि परसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे वे ये देखने के लिए अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालो का सहारा नहीं ले अपितू शीघ्रता से अपना उपचार मांगे। विचार विमर्श के परिणामस्वरूप अधिनियम 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण**

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

किया जाता है। रेस्पोडेन्ट ने आज तक राजस्व रिकार्ड जिसमें अपीलार्थीगण का इन्द्राज स्व0 गोधनसिंह के वारिसान के रूप में हो रहा है के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की है अर्थात चैलेंज नहीं किया है इसकी जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 ग्राम परौआ की जमाबन्दी खाता संख्या 253 व 252 अपील में संलग्न हैं। इस प्रकार अगर नामान्तकरण संख्या 146 को निरस्त नहीं किया तो अपीलार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराधात होगा उनके अधिकार नष्ट हो जायेगें। अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरें से हम सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 146 दिनांक 20.10.1977 ग्राम परौआ तहसील सैपऊ, निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक गोधनसिंह के मौजूद सभी उत्तराधिकारियों की जॉच कर उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः नामान्तकरण पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)